जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 02.02.2021

थाना झिंझाना

थानाक्षेत्र झिंझाना के ग्राम बेदखेडी के जंगल में हुई व्यक्ति की हत्या का अति अल्प समय में किया सफल अनावरण, हत्याभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल हथियार बरामद।

दिनांक 29.01.2021 को अफजाल उर्फ गुड्डू पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला तलाही कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली ने थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी कि उसके पिता श्री मुस्तफा पुत्र श्री जमील उम्र करीब 65 वर्ष को घर से कही गये थे, परन्तु वापस लौट कर नही आये। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर तत्काल गुमशुदगी पंजीकृत की गयी थी। गुमशुदा मुस्तफा के सम्बन्ध में आस-पास लोगों से जानकारी करने व सीसीटीवी कैमरो की फुटेज खगालने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 29.01.2021 को समय करीब 17.20 बजे मुस्तफा दो व्यक्तियो के साथ एक मोटर साइकिल पर जाते दिखाई दिये। मोटर साइकिल चालक व्यक्ति की पहचान रवि कश्यप पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम होसंगपुर थाना झिंझाना जनपद शामली तथा पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान मुस्तफा के पडोसी विजय पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला तलाही कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा गुमशुदा की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु थाना झिंझाना पुलिस के साथ-साथ सर्विलांस व एस0ओ0जी0 टीम को भी आवश्यक दिशा-निर्देश देकर लगाया गया।

दिनांक 01.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना का शव बरामद होने के अति अल्प समय में सफल अनावरण करते हुए हत्याभियुक्त रवि कश्यप को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। हत्याभियुक्त रवि कश्यप उपरोक्त की निशादेही पर मृतक मुस्तफा का रक्त रंजित शव बेदखेडी के जंगल में ईख के खेत से बरामद किया गया। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मृतक मुस्तफा के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया । घटना की सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी कैराना द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। परिजनो की लिखित तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया है।घटना में सम्मलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित कराई जायेगी।

अपराध का तरीका:- गिरफ्तार अभियुक्त से की गई पूछताछ में जानकारी हुई है कि मृतक मुस्तफा पर विजय के रूपये उधार थे। जिसको लेकर विजय से विवाद हो रहा था। दिनांक 29.01.2021 को वह और विजय मुस्तफा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर वेदखेडी के जंगल में ईख के खेत में ले गये और मुस्तफा को सिर में पीछे से गोली मार दी। घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- रवि कश्यप पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम होसंगपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. आलाकत्ल अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामवीर थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. का0 सुधीर कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
6. का0 दुष्यन्त थाना झिंझाना जनपद शामली।
7. का0 सन्दीप थाना झिंझाना जनपद शामली।